राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-6479/2006

देवी शंकर बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:14.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

श्री बीरी सिंह, अधिवक्ता- परिवादिया की ओर से

--

अभियुक्त- प्रार्थी देवी शंकर द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या 197/2006 पुलिस थाना- महिला, कोटा अपराध अन्तर्गत धारा498-ए, 406 भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि परिवादिया, अभियुक्त-प्रार्थी की विधिवत पत्नी नहीं है अपितु अभियोजन मामले के अनुसार भी उसका पूर्व पति जिन्दा है तथा परिवादिया का तलाक नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में केवल मात्र अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा दिये गये नोटिस से परिवादिया को उसके स्वयं की पत्नी बता देने से ही पत्नी के रूप में उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करना व स्त्रीधन को हड़पने का मामला नहीं बन सकता। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा न तो परिवादिया से कोई रूपया प्राप्त किया गया है और न ही उसे तंग व परेशान किया गया है अपितु परिवादिया एक प्रोपर्टी डीलर के साथ रह रही है तथा उसके प्रभाव में आकर यह झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक व परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्त- प्रार्थी, परिवादिया का पति है जिसके संसर्ग से परिवादिया के तीन बच्चे उत्पन्न हुए है तथा अभियुक्त- प्रार्थी देवी शंकर आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध हत्या, लूटपाट जैसे अनेक गंभीर मामले चल रहे हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि येन-केन-प्रकारेण मारपीट व दबाव

देकर प्रार्थी-अभियुक्त, परिवादिया से रूपया व अन्य सम्पति हड़प करने की फिराक में रहा है। परिवादिया की भूमि का बेचान करवा दिया गया तथा 6 लाख रूपये मारपीट कर जबरन ले लिये तथा 13 लाख रूपये जो जमींन के बेचने पर परिवादिया के पास बचे थे, उनको भी जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए परिवादिया के साथ मारपीट करने लगा है तथा माता व बच्चो सहित परिवादिया को घर से निकाल दिया तथा घर के ताला लगा दिया जबकि उक्त मकान परिवादिया की माता का है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपुयक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व इस मामले में अभियुक्त-प्रार्थी की बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व उसके दर्शाये गये आपाराधिक चरित्र एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए हमारे मत से अभियुक्त-प्रार्थी का यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का उचित मामला नहीं है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)